

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/पौष 5, 1935

No. 622]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

सा. का. नि. 799(अ).—लोक सभा सचिवालय के दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 के भर्ती और सेवा शर्तें आदेश सं. 185 द्वारा सचिवालय के अधिकारियों के लिए लागू मूल नियमावली के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा सचिवालय (आवास आर्बटन) नियमावली, 1974 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों को लोक सभा सचिवालय (आवास आर्बटन) संशोधन नियम, 2013 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 23 अप्रैल, 2013 से लागू माने जायेंगे ।

2. नियम 8 में, उप-नियम 2 के नीचे सारणी में सेवानिवृत्ति अथवा सेवांत छुट्टी से संबंधित मद सं. (ii) अर्थात् “सामान्य लाइसेंस शुल्क पर दो महीने और सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुने पर आगे और दो महीने । संबंधित प्राधिकारियों के समुचित प्रमाणपत्र के अधीन अस्वस्थता/शिक्षा के आधार पर विशेष कारणों से सामान्य लाइसेंस शुल्क के चार गुने पर आगे और दो महीने सामान्य लाइसेंस शुल्क के छह गुने के भुगतान पर आगे और दो महीने” को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(क) “01-07-2013 से पूर्व आर्बटित आवास के मामलों में : सामान्य लाइसेंस शुल्क पर 2 महीने, सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुने पर आगे और 2 महीने, सामान्य लाइसेंस शुल्क के चार गुने पर आगे और 2 महीने और सामान्य लाइसेंस शुल्क के छह गुने पर आगे और 2 महीने । (ख) 01-07-2013 को या इसके पश्चात् आर्बटित आवास के मामलों में : सामान्य लाइसेंस शुल्क पर 2 महीने, सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुने पर आगे और 2 महीने और सामान्य लाइसेंस शुल्क के चार गुना पर आगे और 2 महीने ।

नियम 17 में, परन्तुक में अनुबद्ध किया गया है कि मृत्यु के मामले को छोड़कर विशेष मामलों में, प्रशासन शाखा-II द्वारा किसी अधिकारी को नियम 8 के उप-नियम (2) के अंतर्गत अनुमेय अवधि से आगे छह माह से अनधिक अवधि के लिए मानक लाइसेंस शुल्क के दोगुने अथवा मूल नियम 45-क के अंतर्गत पूलित मानक लाइसेंस शुल्क के दोगुने अथवा उस लाइसेंस शुल्क के दोगुने जिसका वह भुगतान कर रहा था, जो भी अधिक हो, के भुगतान पर किसी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुमति दी जा सकती है। इस परन्तुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“परन्तु मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति अथवा सेवांत छुट्टी के मामले को छोड़कर विशेष मामलों में, प्रशासन शाखा-II द्वारा किसी अधिकारी को नियम 8 के उप-नियम (2) के अंतर्गत अनुमेय अवधि से आगे छह माह से अनधिक अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क की सपाट दर के दोगुने अथवा उस लाइसेंस शुल्क के दोगुने जिसका वह भुगतान कर रहा था, जो भी अधिक हो, के भुगतान पर किसी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुमति दी जा सकती है।”

[सं. 1/18/2013/एएन-II]

एस. बाल शेखर, महासचिव

टिप्पणी : मूल नियम लोक सभा सचिवालय की दिनांक 1-5-1974 की अधिसूचना सं. फा. 1/18/74-ए एन-II, सा. का. नि. 576 के अंतर्गत प्रकाशित किये गए थे और इसके बाद इसके निम्नलिखित के तहत संशोधन किये गए हैं :—

- (i) सा. का. नि. 279(अ) , दिनांक 17.6.1977
- (ii) सा. का. नि. 566(अ) , दिनांक 1.12.1978
- (iii) सा. का. नि. 439(अ) , दिनांक 7.7.1979
- (iv) सा. का. नि. 1110(अ) , दिनांक 26.9.1986
- (v) सा. का. नि. 1011(अ) , दिनांक 22.12.1987
- (vi) सा. का. नि. 3(अ) , दिनांक 1.1.1997
- (vii) सा. का. नि. 67(अ) , दिनांक 6.2.1997
- (viii) सा. का. नि. 142(अ) , दिनांक 20.03.1998
- (ix) सा. का. नि. 247(अ) , दिनांक 20.03.1998
- (x) सा. का. नि. 621(अ) , दिनांक 14.10.1998
- (xi) सा. का. नि. 81(अ) , दिनांक 8.2.1999
- (xii) सा. का. नि. 742(अ) , दिनांक 13.10.2008
- (xiii) सा. का. नि. 314(अ) , दिनांक 6.5.2009

व्याख्यात्मक ज्ञापन

लोक सभा सचिवालय (आवास आबंटन) नियम, 1974 के नियम 8 के उपबंधों के अनुसार, सेवानिवृत्ति/सेवांत छुट्टी के मामले में सरकारी आवास के प्रतिधारण की अनुमेय अवधि सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर 2 महीने और सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुने के भुगतान पर आगे और 2 महीने है। इसके बाद आगे और चार महीनों के लिए आवास के प्रतिधारण की अनुमति सामान्य लाइसेंस शुल्क के चार गुने के भुगतान पर पहले दो महीने के लिए और सामान्य लाइसेंस शुल्क के छह गुने के भुगतान पर आगे और दो महीने के लिए अस्वस्थता/शिक्षा के आधार पर दी जाती है किंतु इसके लिए प्रतिधारण की पूर्वोक्त अवधि के लिए बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के साथ-साथ तत्संबंधी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, लोक सभा सचिवालय (आवास आबंटन) नियमावली के नियम 17 में उपबंध किया गया है कि मृत्यु के मामले को छोड़कर विशेष मामलों में, प्रशासन शाखा - II द्वारा किसी अधिकारी को नियम 8 के उप-नियम (2) के अंतर्गत अनुमेय अवधि से आगे छह माह से अनधिक अवधि के लिए मानक लाइसेंस शुल्क के दोगुने अथवा मूल नियम 45-क के अंतर्गत पूलित मानक लाइसेंस शुल्क के दोगुने अथवा उस लाइसेंस शुल्क के दोगुने जिसका वह भुगतान कर रहा था, जो भी अधिक हो, के भुगतान पर किसी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुमति दी जा सकती है।

भारत सरकार ने एस.आर.-317-बी-11 के उप-नियम (2) में अब संशोधन कर दिया है जिसके द्वारा उन सेवानिवृत्त अधिकारियों को जिन्हें 1.7.2013 से पूर्व आवास आबंटित किया गया था, आबंटी द्वारा कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना अथवा अनुरोध किये बिना आठ महीने के लिए अर्थात् सामान्य लाइसेंस शुल्क पर पहले 2 महीने, सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुने पर आगे 2 महीने, सामान्य लाइसेंस शुल्क के चार गुने पर आगे और 2 महीने तथा सामान्य लाइसेंस शुल्क के छह गुने पर आगे और 2 महीने आवास के प्रतिधारण की अनुमति है। तथापि, उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में, जिन्हें 1.7.2013 को या इसके पश्चात् आवास आबंटित किया गया था, आबंटी द्वारा कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना अथवा अनुरोध किये बिना छः महीने के लिए अर्थात् पहले 2 महीने सामान्य लाइसेंस शुल्क पर सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुने पर आगे और 2 महीने और सामान्य लाइसेंस शुल्क के चार गुना पर आगे और 2 महीने आवास के प्रतिधारण की अनुमति है। इसके अलावा, एस आर-317-बी-22 में भी संशोधन कर नया उपबंध किया गया है कि "मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति अथवा सेवांत छुट्टी के मामले को छोड़कर विशेष मामलों में, सम्पदा निदेशालय द्वारा किसी अधिकारी को नियम 8 के उप-नियम (2) के अंतर्गत अनुमेय अवधि से आगे छह माह से अनधिक अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क की सपाट दर के दोगुने अथवा उस लाइसेंस शुल्क के दोगुने जिसका वह भुगतान कर रहा था, जो भी अधिक हो, के भुगतान पर किसी आवास के प्रतिधारण की अनुमति दी जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा उक्त अनुदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने को ध्यान में रखते हुए, लोक सभा सचिवालय (आवास आबंटन) नियमों में 23 अप्रैल, 2013 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है।

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2013

G.S.R. 799(E).— In exercise of the powers conferred by rule 45 of Fundamental Rules as made applicable to the officers of the Lok Sabha Secretariat by Recruitment and Conditions of Service Order No. 185, dated the 19th December, 1957, the Speaker of the Lok Sabha hereby makes the following rules further to amend the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974, namely :—

- (1) These rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Amendment Rules, 2013.
- (2) They shall be deemed to have come into force on 23rd April, 2013.

2. In Rule 8, in the table below, sub-rule 2, against item (ii) relating to retirement or terminal leave, i.e. "Two months on normal licence fee and another two months on double the normal licence fee. Further two months on payment of four times of normal licence fee and subsequent two months on payment of six times the normal licence fee for special reasons involving medical/educational grounds subject to appropriate certificate by the authorities concerned", shall be substituted by :—

- (a) "In cases of accommodation allotted prior to 1.7.2013: 2 months on normal licence fee, another 2 months on double of the normal licence fee, further 2 months on four times of the normal licence fee and subsequent 2 months on six times of the normal licence fee, (b) In cases of accommodation allotted on or after 1.7.2013: 2 months on normal licence fee, another 2 months on double of the normal licence fee and further 2 months on four times of the normal licence fee."

In Rule 17, the proviso stipulates that an officer, in special cases, except in case of death, be allowed by the Administration Branch-II to retain a residence on payment of twice the standard licence fee, or twice the pooled standard licence fee, under F.R. 45-A or twice the licence fee he was paying, whichever is higher for a period not exceeding six months beyond the period permitted under sub-rule (2) of rule 8, shall be substituted by :—

"Provided that an officer, in special cases, except in case of death and retirement or terminal leave may be allowed by Administration Branch-II to retain a residence on payment of twice the flat rate of licence fee, or twice the licence fee he was paying, whichever is higher for a period not exceeding 6 months beyond the period permissible under sub-rule (2) of Rule 8."

[No.1/18/2013/AN-II]

S. BAL SHEKAR, Secy.-General

Note :—Principle rules published under the Lok Sabha Secretariat. Notification No. F.1/18/74-AN-II, G.S.R. 576 dated 1.5.1974 and subsequent amendments are as under :—

- (i) G.S.R. 279(E), dated 17.6.1977
- (ii) G.S.R. 566(E), dated 1.12.1978
- (iii) G.S.R. 439(E), dated 7.7.1979
- (iv) G.S.R. 1110(E), dated 26.9.1986
- (v) G.S.R. 1011(E), dated 22.12.1987
- (vi) G.S.R. 3(E), dated 1.1.1997
- (vii) G.S.R. 67(E), dated 6.2.1997
- (viii) G.S.R. 142(E), dated 20.3.1998
- (ix) G.S.R. 247(E), dated 20.3.1998
- (x) G.S.R. 621(E), dated 14.10.1998
- (xi) G.S.R. 81(E), dated 8.2.1999
- (xii) G.S.R. 742(E), dated 13.10.2008
- (xiii) G.S.R. 314(E), dated 6.5.2009

EXPLANATORY MEMORANDUM

As per the provisions of Rule 8 of Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residence) Rules, 1974, the permissible period of retention of government accommodation in the case of retirement/terminal leave is two months on payment of normal rate of licence fee and further two months on payment of double the normal licence fee. Further retention of the quarter for another four months is allowed on payment of four times of normal licence fee for first two months and six times of normal licence fee for subsequent two months on medical/educational grounds, subject to production of documentary proof in this regard, along with payment of enhanced licence fee for the period of said retention. Further in Rule 17 of Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974 it is provided that an officer in special cases, except in case of death be allowed by the Administration Branch-II to retain a residence on payment of twice the standard licence fee, or twice the pooled standard licence fee, under F.R. 45-A or twice the licence fee he was paying, whichever is higher: for a period not exceeding six months beyond the period permitted under sub-rule (2) of Rule 8.

The Government of India has since made amendments in sub-rule (2) of SR-317-B-11 whereby retired officers who were allotted accommodation prior to 1.7.2013 are allowed to retain the accommodation for eight months i.e. first 2 months on normal licence fee, another 2 months on double of the normal licence fee, further two months on four times of the normal licence fee and subsequent two months on six times of the normal licence fee without any request or production of certificate by the allottees. However in the case of retired officers who were allotted accommodation on or after 1.7.2013, were allowed to retain the accommodation for 6 months i.e. first 2 months on normal licence fee, another 2 months on double the normal licence fee and further 2 months on four times of the normal licence fee without any request or production of certificate by the allottees. Further, SR-317-B-22 has also been amended with the new provision that “an officer in special cases, except in case of death and retirement or terminal leave may be allowed by Directorate of Estates to retain a residence for a period not exceeding 6 months beyond the period permissible under sub-rule (2) of Rule 8 on payment of twice the flat rate of licence fee, or twice the licence fee he was paying, whichever is higher.

In view of the retrospective implementation of the above instructions by the Government of India, the amendments in Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974 are being given effect retrospectively, with effect from 23rd April, 2013.